राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम/एचआरडी/भर्ती/2021/ 113 दिनांकः 25/1/2021

संविदा सीएचओ भर्ती–2020 हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

समस्त अभ्यर्थीयों को निम्नानुसार वर्णित दस्तावेजों में से उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित मोबाईल नम्बर पर SMS के जरिये प्रेषित किये गये लिंक पर अपलोड करने है तथा सभी मूल दस्तावेज एवं इनकी एक–एक प्रतिलिपि (स्व–हस्ताक्षरित) दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ अनिवार्य रूप से लेकर आवेगें:–

क्र. स.	विवरण	आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही
1	(i)आवेदन पत्र का प्रिन्ट एवं संविदा सीएचओ हेतु जारी एडमिट कार्ड, कलर फोटो एवं आईडी (ii)Online upload किये गये दस्तावेज की सूची का प्रिंट आउट एवं अण्डरटेकिंग/शपथ पत्र की स्व हस्ताक्षरित दो– दो प्रतियां। (iii)अपलोड किये गये समस्त मूल दस्तोवज।	आवेदक को उपरोक्त सभी दस्तावेज लाना अनिवार्य है।	राजकीय नर्सिंग कॉलेज/ राजकीय नर्सिंग स्कूल स्टाफ द्वारा आईडी चैक की जानी है।
2	Bonafide Certificate मूल निवास प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य का स्वयं के पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्थान सरकार द्वारा दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ देय नही होगा । वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर एवं राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों को un reserved श्रेणी में शामिल किया जावेगा ।
3	Caste Certificate SC/ST/ जाति प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा अपनी जाति से सम्बन्धित राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनको अनारिक्षत प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर शामिल किया जावेगा ।
4	OBC Non-Cremylayer Certificate पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग का होने पर प्रमाण पत्र (नानॅ––कीमीलयेर)	कार्मिक विभाग के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी नवीनतम एक वर्ष तक पुराना या अधिकतम तीन वर्ष तक शपथ पत्र के साथ एक वर्ष से अधिक पुराना जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको अनारिक्षत प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जावेगा।
5	MBC Certificate (Non-Cremylayer) अति पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग का होने पर प्रमाण पत्र (नानॅ–कीमीलयेर)	कार्मिक विभाग के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानुसार राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (ओबीसी/एमबीसी) विभाग के सर्कुलर दिनांक जून 2020 के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र भी मान्य है।	आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी नवीनतम एक वर्ष तक पुराना या अधिकतम तीन वर्ष तक शपथ पत्र के साथ एक वर्ष से अधिक पुराना जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको अनारिक्षत प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जावेगा ।
6	EWS Certificate ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग का प्रमाण पत्र	कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनाक 19.02.2019 में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि संलग्न)	आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी एवं नवीनतम दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर उसको अनारक्षित प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जावेगा ।

7	TSP Certificate टी.एस.पी क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र	कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट–3 दिनांक 01.08.2018 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों करे पुनःपरिनिश्चित redifined किये अनुसार	आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर TSP क्षेत्र में नियुक्ति का अधिकार समाप्त हो जावेगा और उसको NON TSP क्षेत्र में मानते हुये प्राप्त अंकों के आधार पर NON-TSP क्षेत्र मे शामिल किया जावेगा । महिला अभ्यर्थी यदि TSP क्षेत्र के व्यक्ति से, जिसके पास TSP क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, विवाह करती है तो TSP क्षेत्र का लाभ प्राप्त होगा (परन्तु विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) किन्तु जाति का लाभ SC/ST केवल राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी राजस्थान राज्य का प्रमाण पत्र देने पर देय होगा ।
8	Saheria Caste Certificate सहरीया जाति प्रामण पत्र	कार्मिक विभाग के परिपत्रों वर्णित प्रावधानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको अनारक्षित प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जावेगा ।
9	Marriage Certificate विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति	
10	Widow (Death Certificate)/ Annulled Marriage Proof (Decree) विधवा (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र) विच्छिन्न विवाह प्रमाण पत्र (डिग्री–माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधवा (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)/ विच्छिन्न विवाह प्रमाण पत्र (डिग्री– सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति)	आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु निर्धारित दस्तावेज (विधवा हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र व मृतक से विवाह का प्रमाण पत्र/विछिन्न विवाह हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिग्री) प्रस्तुत नहीं करने पर उसके मूल प्रवर्ग अनारक्षित प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर शामिल किया जावेगा । डिग्री/ मृत्यु की दिंनाक आवेदन की दिंनाक से पूर्व की होनी चाहिये।
11	Ex-Servicemen Certificate भुतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र	कार्मिक विभाग के परिपत्रों वर्णित प्रावधानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तोवेज प्रस्तुत नहीं करने पर मूल प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जावेगा। पूर्व सैनिक को पीपीओ की प्रति प्रस्तुत करने पर ही लाभ देय होगा ।
12	Sports Person Certificate उत्कृष्ट खिलाडी का मान्य प्रमाण पत्र	कार्मिक विभाग के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसका प्रवर्ग अनारक्षित (मूल वर्ग क्षेतिज प्रवर्ग) प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्तांक के आधार पर शामिल किया जावेगा ।
13	Disability Certificate विकलांगता प्रमाण पत्र	कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उल्लेखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर	आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसका प्रवर्ग अनारक्षित (मूल वर्ग क्षेतिज प्रवर्ग) प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्तांक के आधार पर शामिल किया जावेगा ।
14	10th Board Certificate and Mark Sheet (Matric with BSER (Schedule of recognised Board) 10वीं बोर्ड की अंक तालिका अथवा योग्यता का सर्टिफिकेट (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अथवा माशिबोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड	आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते समय आवेदन पत्र में भरी गई जन्म तिथि हेतु दसवीं बोर्ड का प्रमाण पत्र	आवेदक की जन्म तिथि में अन्तर होने पर बोर्ड अंक तालिका में उल्लेखित जन्म तिथि के अनुसार ही पात्रता का विनिश्चय किया जावेगा।
15	Qualifing Exam (GNM/ B.Sc Nursing/ B.Sc Community Health /BAMS) Certificate जी एन एम, बीएससी नर्सिंग, बीएससी कम्यूनिटि हेल्थ, बीएएमएस प्रशिक्षण कोर्स अथवा समकक्ष योग्यता का सर्टिफिकेट	आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते समय आवेदन पत्र में भरी गई योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा उक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर आवेदक की पात्रता निरस्त की जावेगी।
16	B.Sc. in Community Health Or B.Sc nursing With integrated Course in Community Health or BPCCHN from IGNOU	आवेदक द्वारा B.Sc in Community Health Or B.Sc nursing With integrated Course in Community Health or BPCCHN	जिन अभ्यर्थियो के द्वारा B.Sc in Community Health Or B.Sc nursing With integrated Course in Community Health or BPCCHN

		from IGNOU किया होने पर उक्त document प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावेगा।	from IGNOU का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उन अभ्यर्थियों को पात्र माना जायेगा तथा सीधे नियुक्ति हेतु विचार किया जावेगा
17	Valid Registration From RNC/ RBM राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल /राजस्थान बोर्ड मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	Documents verification के समय RNC/RBM का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम तिथि दिनाक 26.09 2020 तक या उससे पूर्व की तिथि का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है परन्तु यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उक्त तिथि के बाद की दिनाक को जारी हुआ हो तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ 26.09 2020 तक या उससे पूर्व की RNC/RBM में आवेदन प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथापि माननीय राजस्था उच्च न्यायालय जोधपुर बेन्च में याचिका संख्या 13299/2017 मजू देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में दिनाक 18.12.2017 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में RNC/RBM में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनाक संविदा सीएचओ भर्ती–2020 की दिनाक 10.11.2020 को आयोजित परीक्षा की दिनाक तक का मान्य होगा और इसी रसीद के आधार पर document verification की दिनाक तक RNC/RBM का पंजीयन पमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा	Documents verification के समय RNC/RBM का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम तिथि दिनाक 26.09.2020 तक या उससे पूर्व की तिथि का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है परन्तु यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उक्त तिथि के बाद की दिनाक को जारी हुआ हो तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ 26.09 2020 तक या उससे पूर्व की RNC/RBM में आवेदन प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथापि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेन्च में याचिका संख्या 13299/2017 मजू देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में दिनाक 18.12.2017 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में RNC/RBM में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनाक संविदा सीएचओ भर्ती–2020 की दिनाक 10.11.2020 को आयोजित परीक्षा की दिनाक तक का मान्य होगा और इसी रसीद के आधार पर document verification की दिनाक तक RNC/RBM का पंजीयन पमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

2. Document verification की प्रकिया

1. संविदा सीएचओ भर्ती की दिनांक 16.01.2021 को जारी विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों का निम्नानुसार 06 स्थानो पर 8 केन्द्रों में दिनांक 30.01.2021 से दस्तावेज सत्यापन प्रारम्भ किया जायेगा।

Ajmer

Government Nursing College, Janana Hospital Campus, Ajmer.

Jodhpur

Government Nursing College, MDM Hospital Campus, Jodhpur.

KOTA

Government Nursing College, MBS Hospital Campus, Kota.

UDAIPUR

Government Nursing College, Udaipur, RNT Medical College, Udaipur

BIKANER

Government Nursing College, Medical College Ground, Bikaner.

JAIPUR

State Institure of Health and Family Welfare, Jhalana Dungari, Jaipur
Government Nursing College, JLN Road, SMS Hospital Campus, Jaipur
Rajasthan Nursing Council, B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur

2. विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजो को ऑनलाईन सबमिशन हेतु लिंक उपलब्ध करवाया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र मे उल्लेखित दस्तावेज एवं अण्डरटेकिंग तथा शपथ पत्र लिंक के माध्यम से अपलोड कर सबमिट किया जावेगा। दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी अपलोडेड दस्तावेजो की सुची की स्वहस्ताक्षरित दो

प्रतिया तथा अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र की दो प्रतिया लेकर दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय मूल दस्तावेजो के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगें।

3. दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय इस सुची पर आवश्यक संशोधन के पश्चात वैरिफायर एवं अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेंगें तथा हस्ताक्षरित एक प्रति वैरिफायर अपने पास रखेगा परन्तु दुसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा। दस्तावेज वैरिफिकेशन के समय वैरिफायर द्वारा समस्त दस्तावेजो का भैतिक सत्यापन कर सेव कर फ्रीज कर दिया जायेगा।
4. टेक्निकल सेवा प्रदाता द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से customized check list तैयार कर सम्बन्धित सयुंक्त निदेशक जोन कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। ताकि candidate को उनके द्वारा आवेदन करते समय उल्लेखित दस्तावेजों को ही प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित संभाग को संविदा सीएचओ के Documents Verification हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जयपुर संयुक्त निदेशक के उप निदेशक एवं Deputy CMHO Health जपयुर–II नोडल अधिकारी होंगे।
6. Customised check list के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर द्वारा संविदा सीएचओं के अभ्यर्थियों के document verification का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।
7. दस्तावेज प्रमाणीकरण के दौरान राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल द्वारा सभी केन्द्रों पर प्रत्येक केन्द्र पांच कम्प्यूटर सिस्टम विद् ऑपरेटर दस्तावेज प्रमाणी करण हेतु एवं एक हैल्पडेस्क/प्रिन्टआउट आदि के लिये विद् ऑपरेटर सिस्टम उपलब्ध करवाया जाएगा।
8. दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय कम्प्यूटर सिस्टम पर डॉक्युमेंट भौतिक रूप से सत्यापित किये जाऐंगें। प्रमाणीकरण पश्चात सबमिटेड डॉक्युमेंट को सेव कर फ्रीज किया जायेगा। फिजिकल वैरिफिकेशन तक अभ्यर्थी को सबमिटेड डॉक्यूमेंट में परिवर्तन/संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
9. अभ्यर्थी उपलब्ध करवाये गये लिंक पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के समय मूल दस्तावेज साथ लेकर आयेंगें तथा सबमिटेड डॉक्युमेट का फिजिकल वैरिफिकेशन करवायेगें।
10. RNC documents verification के कार्य हेतु नोडल ऐजेन्सी रहेगी। नोडल ऐजेन्सी की सहायता के लिये सम्बन्धित क्षेत्र के Principal Government Nursing College/ Schools को Documents Verification में टेबिल काउन्टर पर स्टाफ मशीन विद् मैन, Verifiyer (राजपत्रित अधिकारी) एवं अन्य संसाधनों के लिए आवश्यक सहयोग देगें
11. Documents Verification के समय द्विव्यांग श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को अन्तिम दिवस पर संबंधित शहर के मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल में उपस्थित होना आवश्यक है।
12. इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों के लिये उस दिन मेडिकल बोर्ड का गठन किया जायेगा। मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल में आवश्यकतानुसार RNC द्वारा डॉक्युमेट वैरिफिकेशन टीम मय सिस्टम रखी जायेगी जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर डॉक्युमेट वैरिफिकेशन का कार्य पूर्ण करेगी। इसके लिये मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल को पृथक से मेडिकल बोर्ड के गठन व सभी जॉच की निःशुल्क व्यवस्था की जावेगी।
13. Documents verification की प्रक्रिया के बाद पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से मुख्य व आरक्षित सूची TSP AND NON TSP प्रवर्ग की अन्तिम चयन सूची जारी की जानी है।
14. प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के लिये सयुंक्त निदेशक, नोडल अधिकारी, की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी प्रस्तावित है जिसमें प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग कालेज/स्कूल एवं सयुंक्त निदेशक द्वारा नामित सम्बन्धित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी/ अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होगें।
15. राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाजार्य द्वारा प्रत्येक टेबल पर एक नर्सिंग ट्यूटर को वैरिफायर नियुक्त किया जाएगा।
16. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रत्येक टेबल पर एक चिकित्सा अधिकारी को वैरिफायर नियुक्त किया जाएगा।
17. इस कमेटी द्वारा documents verification के आधार पर जारी गाईड लाईन्स के अनुसार पात्रता का documents verification के अन्तिम दिवस से आगामी तीन दिवस में विनिश्चय कर software पर

अन्तिम पात्रता सूची को upload करना सुनिश्चित करेगें। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उसकी पात्रता निरस्त की जानी प्रस्तावित की जाती हैं तो ऐसे प्रकरण राज्य स्तरिय कमेंटी को संदर्भित किये जायेंगें।

18. अभ्यर्थियों की Health wellness Centre पर नियुक्ति हेतु पांच जिलो की प्राथमिकता का ऑनलाईन विकल्प प्राप्त किया जावेगा जिसका software तकनिकी सेवा प्रदाता द्वारा तैयार करवा कर उपलब्ध कराया जावेगा ।
19. दिव्यांग अभ्यर्थियों को document verification हेतु एक दिन निर्धारित किया जाकर सभी को एक साथ बुलाया जावेगा । उसी दिन Medical Board बिठाया जाकर Medical Board द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी पात्रता का विनिश्चय किया जावेगा।
20. Document verification के दिन पात्रता विनिश्चय आवेदन की अन्तिम तारीख 26.09.2020 को आधार माना जाकर किया जावेगा। इसी तारीख को वैध एवं प्रभावी दस्तावेज ही पात्रता हेतु मान्य होगें।
21. Document Verification हेतु आने जाने का कोई किराया / भत्ता देय नहीं होगा।
22. निर्धारित schedule के अनुसार ही आवश्यक रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सभी मूल दस्तावेज दिखाने अनिवार्य है। प्रत्येक दिवस 02 Schedule प्रथम पारी प्रातः 10.00 से 1.00 बजे तक एवं द्वितीय पारी दोपहर 02.00 से सायं 05.00 बजे तक रहेगी।
23. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित दिवस एवं समय पर समुचित कारणों से दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नही हो पाता है, तो विशेष परिस्थितियों में नोडल अधिकारी सयुंक्त निदेशक संबंधित दिवस के schedule के पश्चात् document verification हेतु अनुमत कर सकते है।
24. निर्धारित दिवस एवं Schedule तक भी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को केवल विशेष परिस्थितियों में दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अन्तिम दिवस के आगामी कार्य दिवस को संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा कारण का उल्लेख करते हुए अनुमत किया जा सकेगा। इसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी प्रकार का अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
25. यदि कोई अभ्यर्थी आमंत्रित किये गये दिवस एवं समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नही होते है, तो उन्हें संविदा सीएचओ पद हेतु अपात्र माना जाकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर माना जायेगा।
26. Document verification कराने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह केवल पात्रता की जांच के विनिश्चय की प्रकिया है।
27. Government Nursing College/ Government Nursing Schools के प्रधानाचार्य RNC से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें ।
28. उक्त समस्त प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के साथ ही कोविड–19 महामारी हेतु जारी दिशा निर्देश की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी ।

(नरेश कुमार ठकराल)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम